# बहिष्कृत लोगों को शामिल करना

## – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना

**नीतिगत सार**

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

HEINRICH
BÖLL
STIFTUNG
INDIA

*वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)*

# बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना

**लेखन :** राहुल बैनर्जी

अक्टूबर 2014

*कॉपीराइट © वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया*
इस पुस्तक की विषय वस्तु की प्रकाशक का उचित आभार प्रकट करते हुए पूर्ण या आंशिक रूप से पुनः मुद्रित किया जा सकता है।

**सहयोग :** "हेनरिक बोल फाउंडेशन (एचबीएफ)

**हिन्दी अनुवाद :** डॉ. यश चौहान

**प्रकाशकः**
**वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)**
बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव 2,
नई दिल्ली 110 048
फोन : 011–29228127, 29226632
टेलिफैक्स : 011–41435535
ईमेल : info@vaniindia.org
वेबसाइट : www.vaniindia.org

**मुद्रकः**
प्रिंट वर्ल्ड # 9810185402
ईमेल : printworld96@gmail.com

# बहिष्कृत लोगों को शामिल करना

## – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना

**वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)**
बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव 2
नई दिल्ली – 110 048
फोनः 011–29228127, 29226632 टेलिफैक्सः 011–41435535
ईमेलः info@vaniindia.org ; वेबसाइटः www.vaniindia.org

# आमुख

भारत विश्व की एक सबसे अधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में और दक्षिण–दक्षिण सहयोग के ढांचे के एक नेता के रूप में अतंर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता हासिल करता जा रहा है। ब्रिक्स, जी–20 और इबसा जैसे मंचों के माध्यम से भारत अपने आप को 2015 के बाद के विकास मुद्दों को प्रभावित करने और रूप प्रदान करने की स्थिति में पा रहा है। इन मंचों पर भारत की आवाज को प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसके स्वैच्छिक क्षेत्र के अनुभव और सरोकारों को ध्यान में रखा जाए। इसी के साथ भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र को भूमंडलीय मुद्दों की पेचीदगियों को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाली परिचर्चाओं और प्रक्रियाओं को समझना होगा।

इसी संदर्भ में वाणी ने अपने साझेदार संगठनों के साथ मिल कर इन चार विषयगत मुद्दों पर अध्ययन कराएरू समावेशपूर्ण विकास, वित्तीय समावेश, सतत विकास और भ्रष्टाचार तथा अभिशासन। इन अध्ययनों के फलस्वरूप प्रशिक्षित चार रिपोर्टों का उद्देश्य भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र की ओर से 2015 के बाद के एजेंडा के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान कराना है; और इस उद्देश्य से इन्हें संबंधित मंत्रालयों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों की सामग्री में जोड़ा जाएगा।

यह महसूस किया गया कि रिपोर्टों को व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए नीतिगत सारांशों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद नीतिगत सारांशों का हिन्दी में अनुवाद भी किया गया। हमें आशा है कि इन नीतिगत सारांशों के माध्यम से हम भारत में छोटी और जमीनी स्तर की संस्थाओं को कार्य में संलग्न करके, शिक्षित और प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों और निर्णय प्रक्रियाओं के बारे में उनके बीच मौजूद कमियों को दूर करके कर सकते हैं और घरेलू और भूमंडलीय स्तर पर स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज को प्रस्तुत कर सकते हैं।

हर्ष जेतली
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

| साझेदार संगठन | लेखक | विषयगत मुद्दा | शीर्षक |
|---|---|---|---|
| वादा न तोड़ो अभियान | राहुल बैनर्जी | समावेशपूर्ण संवृद्धि | बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना |
| डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स | डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स | सतत विकास | भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया |
| सोसायटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया) | मनोज राय | भ्रष्टाचार और अभिशासन | भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया |
| कंफड़रेशन ऑफ वालंटरी एसोसिएशनस (कोवा) | डॉ. मज़हर हुसैन, रॉबरटो ज़ी लस्करॉवॉट, एम. मुरली कृष्णा | वित्तीय समावेश | वित्तीय समावेश की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देश |

# बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना

समावेशपूर्ण विकास की अवधारणा को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है – "जो निर्धनों को सक्रिय रूप से आर्थिक कार्यकलापों में भाग लेने और उनसे महत्वपूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाये।" इसका आगे इस प्रकार से विस्तार किया गया है – जो निर्धनों को संवृद्धि तक समान और गैर–भेदभावकारी पहुंच उपलब्ध कराये। इस तरह से परिभाषित करने पर समावेशपूर्ण संवृद्धि कार्य के दायरे को आजीविकाओं और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अभिशासन में भागीदारी की सीमा तक व्यापक बना देती है।

इस प्रकार उक्त परिभाषाओं के प्रकाश में समावेश की मुख्य शर्तें हैं – लोगों की भागीदारी और लोगों के खिलाफ गैर–भेदभाव।

## भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि की स्थिति

समावेशपूर्ण संवृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संस्थागत और कार्यक्रमगत प्रबंधों के बावजूद, समावेश के विभिन्न आयामों – जैसे कि आय, शिक्षा और स्वास्थ्य – के हिसाब से अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। द्वितीयक स्रोतों की समीक्षा के आधार पर इन आयामों की स्थिति यहां प्रस्तुत की गई है:

**आय:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों पर सबसे ताजा भारत देश रिपोर्ट, 2014 के अनुसार वर्ष 2011–12 में भारत में निर्धनता हैड काउंट अनुपात (पीएचसीआर) – जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित किये अनुसार निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात होता है – ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 13.7 प्रतिशत था। देश के लिए कुल पीएचसीआर 21.9 प्रतिशत था और इसलिए पूरे देश के लिए 23.9 प्रतिशत का एमडीजी लक्ष्य कुल मिला कर हासिल किया गया। किंतु नौ राज्य अभी भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं और वे लक्ष्य हासिल नहीं कर पायेंगे। जिन राज्यों को देश के निर्धन क्षेत्र कहा जा सकता है, उन्हें तालिका–1 में दर्शाया गया है।

कुछ अर्थशास्त्रियों ने योजना आयोग द्वारा अपनाये गये निर्धनता के आकलन की पद्धति को लेकर सवाल उठाया है। पिछले कुछ वर्ष खाद्य वस्तुओं पर और उनमें भी अन्नों पर परिवारों के व्यय का अनुपात शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा, उपभोक्ता वस्तुएं, आश्रय आदि की तुलना में नीचे गिरा है। इसलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने आंशिक रूप से ही जीवन लागत में वास्तविक वृद्धि को दर्शाया। परिणामस्वरूप बढ़ा हुआ परिवार उपभोक्ता व्यय ग्रामीण क्षेत्रों

**तालिका 1:**
**निर्धनता के उच्च स्तर वाले राज्य 2011–12**

| क्रमाक संख्या | राज्य | पीएचसीआर (आबादी का प्रतिशत) |
|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश | 29.43 |
| 2. | मध्य प्रदेश | 31.65 |
| 3. | असम | 31.98 |
| 4. | ओड़िशा | 32.59 |
| 5. | बिहार | 33.74 |
| 6. | अरुणाचल प्रदेश | 34.67 |
| 7. | मणिपुर | 36.89 |
| 8. | झारखंड | 36.96 |
| 9. | छत्तीसगढ़ | 39.93 |

में 2400 कैलरीज और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलरीज प्राप्त करने की स्थिति को नहीं दर्शाता जिसे भारतीय स्थितियों में पर्याप्त पोषण की न्यूनतम शर्त माना गया था।

यदि कैलरी ग्रहण करने के इन स्तरों के अनुरूप पारिवारिक उपभोक्ता व्यय को निर्धनता रेखा के रूप में देखा जाये तो वर्ष 2010 में निर्धनता से नीचे की आबादी का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 75.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 73 प्रतिशत था।

**आहार–ग्रहण:** एमडीजी 2014 की रिपोर्ट देश में आहार ग्रहण की स्थिति की निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करती है। चित्र 1 में दर्शाये गये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से तैयार प्रति व्यक्ति कैलरी ग्रहण 1993 में 2153 से घटकर 2009–10 में 2020 हो गया जो कि 2400 के मानदण्ड से 16 प्रतिशत कम है। इस तरह शहरी क्षेत्रों में आहार ग्रहण 1946 में 2071 कैलरी से नीचे आया है जो कि 2100 के मानक से 7.3 प्रतिशत नीचे है।

**चित्र 1:**
**आकलित प्रति व्यक्ति कैलरी ग्रहण के रुझान – भारत**

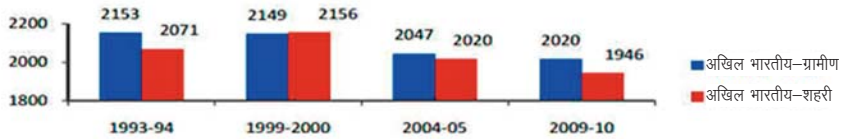


*स्रोतः भारत सरकार, 2014*

बाल अधोपोषण के मामले में स्थिति रुगान रूप से निराशाजनक है। एमडीजी 2014 की रिपोर्ट तीन वर्ष के कम वजन के बच्चों के एक संकेतक के संबंध में डॉटा के लिए 2005 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–III पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि एनएफएचएस–I के समय 1992 में 53 प्रतिशत से केवल 13 प्रतिशत की कमी आई है।

**चित्र 2:**
**कम वजन के बच्चों की व्याप्ति**
**0–3 आयु समूह 2005–06 (प्रतिशत)**

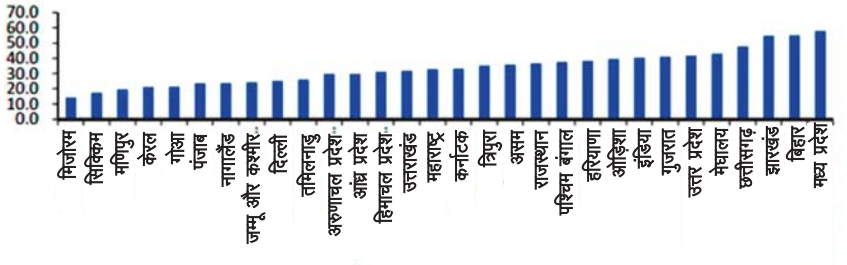


*स्रोतः भारत सरकार, 2014*

अधोपोषण से निबटने में क्षेत्रीय अंतरों के अलावा दलितों और आदिवासियों के अन्य समुदायों की तुलना में अधिक प्रभावित होने के कारण सामाजिक अंतर भी मौजूद हैं। लिंगों के बीच पौषटिक असमानताएं और भी बढ़ कर हैं। हालांकि लड़कियों का जन्म बेहतर पोषण संबंधी स्थिति के साथ होता है पर बाद में वे पीछे रह जाती हैं। एनएफएचएस–III के आंकड़े भी यह दिखाते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कहीं अधिक कुपोषित है। अखिल भारतीय स्तर पर 35.6 प्रतिशत महिलाओं में चिरकालिक ऊर्जा की कमी पाई गई जबकि 55.3 प्रतिशत महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं और इससे शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाएं अधिक प्रभावित हैं। इसकी तुलना पुरुषों के बीच 28.1 प्रतिशत चिरकालिक ऊर्जा कमी और 24.3 प्रतिशत अनीमिया से करनी होगी।

**शिक्षा:** शिक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण संकेतक 15–24 वर्ष के युवाओं के बीच साक्षरता का स्तर है क्योंकि यह वह आबादी है जो अगर पर्याप्त शिक्षित और कौशलयुक्त है तो देश को तत्काल जनसांख्यिक प्रतिलाभ प्रदान करने जा रही है। शिक्षा पर व्यय के संबंध में 2007–08 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने प्रकट किया है कि कुल युवा साक्षरता 86 प्रतिशत थी – 80 प्रतिशत महिलाओं के और 91 प्रतिशत पुरुषों के बीच।

**तालिका 2:**
**राष्ट्रीय औसत (प्रतिशत) से नीचे के राज्यों में युवा साक्षरता**

| क्रमाक संख्या | युवाओं के बीच प्रतिशत साक्षरता: एनएसएसओ (2007–08) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | समस्त | महिला | पुरुष | ग्रामीण | शहरी |
| राजस्थान | 78 | 64 | 90 | 74 | 89 |
| उत्तर प्रदेश | 80 | 73 | 87 | 79 | 84 |
| बिहार | 67 | 55 | 77 | 64 | 86 |
| अरुणाचल प्रदेश | 84 | 77 | 90 | 80 | 97 |
| झारखंड | 75 | 62 | 86 | 70 | 93 |
| ओडिशा | 84 | 78 | 91 | 82 | 95 |
| मध्य प्रदेश | 85 | 77 | 92 | 82 | 93 |
| दादर एवं नगर हवेली | 85 | 63 | 99 | 83 | 97 |

*स्रोतः एनएसएसओ, 2008*

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा साक्षरता 83 प्रतिशत थी और शहरी क्षेत्रों में 93 प्रतिशत थी। हालांकि यह एक उत्साहजनक स्थिति है, पर कुछ राज्य ऐसे हैं जो पीछे छूट गये हैं जैसा कि उक्त तालिका 2 में दर्शाया गया है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए विशुद्ध नामांकन अनुपात 2010–11 में 99.89 प्रतिशत के सराहनीय स्तर पर था। किंतु इस संबंध में दो समस्याएं हैं। पहली यह है कि कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक जाते–जाते नामांकित बच्चों के स्कूल में बने रहने की दर 2009–10 में 83.2 प्रतिशत थी जो कक्षा आठ तक गिर कर 76.8 प्रतिशत हो गई। दूसरी समस्या यह है कि अधिगम के स्तरों द्वारा निर्धारित शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूल में बच्चों का कार्य–प्रदर्शन बहुत निम्न था, हालांकि कई राज्यों में पर्याप्त अनुपात में बच्चे निजी स्कूलों में हैं।

**स्वास्थ्य:** स्वास्थ्य चिंता का विषय बनी हुई है और यह एमडीजी 2014 की रिपोर्ट के आंकड़ों में प्रतिबिंबित होता है। भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 100 जीवित जन्मों पर कुल मिला कर 52 थी जो कि काफी अधिक है।

इसी तरह शिशु मृत्यु दर के संबंध में स्थिति भी बुरी है। इसका राष्ट्रीय औसत प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 42 है। यहां भी कुछ राज्यों की स्थिति – जो सभी निर्धनता

संकेतकों की दृष्टि से पीछे हैं – राष्ट्रीय औसत से भी बुरी है जैसा कि चित्र 3 में दर्शाया गया है।

**चित्र 3:**
**लिंग के अनुसार शिशु मृत्यु दर 2012**

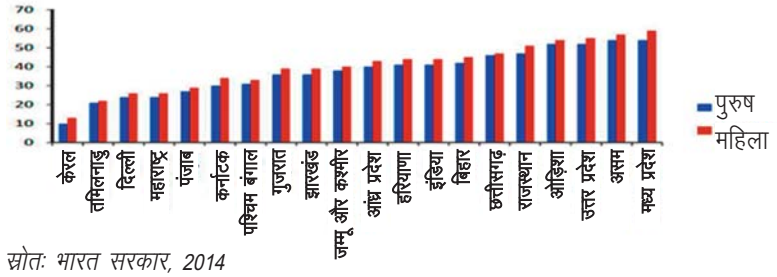


*स्रोतः भारत सरकार, 2014*

वर्ष 2011–12 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 178 के राष्ट्रीय औसत के साथ मातृ मृत्यु दर भी काफी उच्च है। कुछ राज्यों की स्थिति काफी अधिक खराब है जैसा कि चित्र 4 में दर्शाया गया है।

**चित्र 4:**
**मातृ मृत्यु दर 2012**

*स्रोतः भारत सरकार, 2014*

अधोपोषण, अनीमिया और घरेलू हिंसा के अलावा उच्च मातृ मृत्यु का एक और प्रमुख कारण प्रसव के समय महिलाओं को उपलब्ध स्वास्थ्य सहायता के कौशल का निम्न स्तर है। वर्ष 2009 में इसका राष्ट्रीय औसत 76.2 प्रतिशत था। इसके अलावा केवल 80 प्रतिशत महिलाओं को प्रसव–पूर्व देखरेख और 60 प्रतिशत महिलाओं को प्रसवोत्तर देखरेख प्राप्त हो पाती है।

सामान्यतः मलेरिया, टीबी, डायबिटीज, दस्त, हैजा, आदि जैसे रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं। इससे निर्धनों को आय की अधिक क्षति होती है

जिनके मामले में अधोपोषण की वजह से रुग्णता और मृत्यु की स्थिति निर्धनता के चलते जटिल हो जाती है। निर्धनता की वजह से वे उपयुक्त उपचार प्राप्त नहीं कर पाते। फलस्वरूप स्वास्थ्य की स्थिति देश में निर्धनों के लिए चिंता का प्रमुख कारण बनी हुई है। स्वच्छ पेय जल और साफ–सफाई का अभाव भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार केवल 46.6 प्रतिशत परिवारों को ही अपने परिसर में पेय जल की सुविधा प्राप्त थी और केवल 46.9 प्रतिशत के पास ही शौचालय थे।

अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के संकेतकों पर विचार करें तो दलितों और आदिवासियों की स्थिति आबादी के दूसरे हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक खराब है। मुस्लिम भी इस दृष्टि से पीछे हैं जैसा कि तालिका 3 में दर्शाया गया है। यह तालिका मानव विकास सर्वेक्षण की सबसे हाल में प्रकाशित रिपोर्ट से ली गई है।

**तालिका 3:**
**सामाजिक समूह द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा तक पहुंच**

| | लघु बीमारियों का उपचार (प्रतिशत) | | | प्रमुख बीमारियों का उपचार (प्रतिशत) | | कक्षा 5 और 10 के बीच ड्रॉप आउट पर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी | निजी | अनुपचार | सरकारी में | निजी में | पुरुष | महिला |
| उच्च जाति के हिन्दू | 16 | 78 | 6 | 20 | 80 | 37 | 48 |
| अन्य पिछड़ी जाति | 17 | 74 | 9 | 21 | 79 | 52 | 61 |
| दलित | 17 | 72 | 11 | 26 | 74 | 61 | 66 |
| अनुसूचित जाति | 24 | 56 | 20 | 32 | 68 | 65 | 69 |
| मुस्लिम | 22 | 73 | 5 | 24 | 58 | 34 | 42 |

*स्रोतः देसाई और अन्य, 2010*

**जेंडर:** वर्ष 2011 में जेंडर समानता सूचकांक – जो स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन का बालकों के नामांकन से अनुपात होता है – प्राथमिक स्तर पर 0.98 और आरंभिक स्तर पर 0.87 था; पर इसके बाद इसमें तेज गिरावट आती है और उच्चतर स्तरों पर, विशेषकर पेशेवर पाठ्यक्रम में उच्च स्तर की असमानता है। गैर कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों का अनुपात इस बात पर निर्भर है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र में श्रम बाजार किस हद तक महिलाओं के लिए खुले हैं; और यह महिलाओं के आर्थिक

सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जैसा कि नीचे दिये चित्र 5 में दर्शाया गया है कि न केवल अनुपात निम्न है, बल्कि पिछले एक दशक के दौरान उसमें कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं आया है। वर्ष 2013 में भारत में केवल 11.46 प्रतिशत महिलाएं संसद के दोनों सदनों की सदस्य थी। इस दृष्टि से विश्व के राष्ट्रों में भारत 108वे स्थान पर था।

**चित्र 5:**
**गैर–कृषि कार्यबल में महिलाओं का अनुपात**

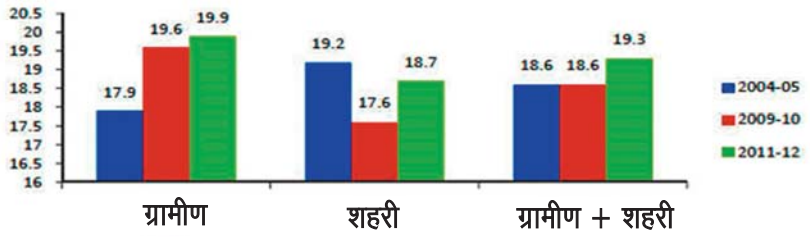


*स्रोतः भारत सरकार, 2014*

पितृसत्ता के उच्च स्तर को देखते हुए भारत में जेंडर न्याय एक दूर का सपना लगता है। "यूनाइटेड नेशंस कंवेंशन ऑन दि एलीमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वूमन (सीईडीएडब्ल्यू) के भारत में कार्यान्वयन की एक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यहां बड़े पैमाने पर जेंडर–आधारित हिंसा होती है, श्रम का जेंडर विभाजन प्रतिकूल है; महिलाओं की तस्करी की जाती है; उचित प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं और शिक्षा तथा रोजगार में महिलाओं के खिलाफ भेदभव होता है। इन सबके परिणामस्वरूप लिंग अनुपात में गिरावट आई है।"

**पर्यावरण संबंधी टिकाऊपनः** प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में, विशेषकर वनों, भूमि और जल जैसे साझे संपदा संसाधनों के उपयोग में अस्थिरता पूरे विश्व में और विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों में एक गंभीर समस्या बन गई है क्योंकि यहां अनेक निर्धन लोग अपनी आजीविकाओं के लिए इन संसाधनों पर सीधे–सीधे निर्भर हैं। भारत में जनसांख्यिक रूप से बहुत से निर्धन लोग अपने महत्वपूर्ण संसाधनों पर या तो नाम मात्र का नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं। इसलिए संसाधनों को विकसित एवं संरक्षित करने के लिए उनमें बहुत कम प्रोत्साहन होता है। इस कारण इन संसाधनों की राशि और प्रवाह में और मानव संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट आई है।

केंद्र और राज्यों में सरकारें और निजी निगमित कंपनियां पर्यावरण प्रभाव आकलन मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करते हैं। इससे सबसे अधिक प्रभाव आदिवासियों पर पड़ता है जो कि उन संसाधन प्रचुर स्थानों में रहते हैं जिन्हें विकास परियोजनाएं अपना निशाना बनाती हैं। इस प्रकार पर्यावरण स्थिरता, जो समावेशपूर्ण विकास की एक महत्वपूर्ण शर्त है, को लेकर समझौता कर दिया गया है ताकि निगमित आर्थिक संवृद्धि या विकास हासिल किया जा सके। पर इससे निर्धनों की समस्याओं में वृद्धि हुई है। ये समस्याएं इस तथ्य के चलते और भी जटिल हो गई हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की मार निर्धनों पर ही ज्यादा पड़ेगी, विशेष रूप से कृषि कार्य करने वाले ग्रामीण निर्धनों पर। यह सब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की रिपोर्ट में उद्घाटित किया गया है।

**स्थानीय अभिशासनः** भारत के संविधान में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को 29 कार्य और उनसे संबंधित निधियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा अनेक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और मिशनों में – जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन – यह अनुदेश दिया गया है कि नियोजन और कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं और यूएलबीज की सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाना चाहिए। किंतु वास्तव में इन स्थानीय अभिशासन निकायों को सत्ता हस्तांतरित नहीं की गई है। अनेक रिपोर्टें यह बताती है कि कार्यों और निधियों का नियंत्रण अभी भी राज्य सरकारों के पास है। इसके अलावा मुहल्ला सभाओं के अभाव में नागरिकों की, विशेषकर उन नागरिकों की जो झोंपड़पट्टियों में रहते हैं, भागीदारी बहुत कम होती है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के खिलाफ जेंडर भेदभाव काफी अधिक है और उनके पुरुष संबंधी ही उनकी ओर से कार्य करते हैं।

**वित्तीय सेवाएंः** किसी भी आर्थिक कार्यकलाप के लिए पर्याप्त और सस्ती दर पर ऋण की उपलब्धता आवश्यक है, विशेषकर सीमांत किसानों, छोटे व्यवसाइयों और श्रमिकों वाली अर्थव्यवस्था के व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र में यह और भी आवश्यक है।

यह प्रावधान भी है कि अनुसूचित बैंक अपने ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध करायेंगे जिसमें कृषि और छोटे उद्योग भी शामिल हैं। किंतु प्राथमिकता

क्षेत्र की निम्नतर आर्थिक सक्षमता के कारण बैंकों की गैर–कार्य प्रदर्शन परिसंपत्तियों का अनुपात इस क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण से गैर–प्राथमिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण की तुलना में दुगुना होता है। इस प्रकार, भारत में वित्तीय समावेश की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि 90 प्रतिशत छोटे व्यवसाय का औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के साथ कोई संपर्क नहीं है और 60 प्रतिशत आबादी ऐसी है जिसके बैंक खाते नहीं हैं। कृषि क्षेत्र के मामले में केवल 20 प्रतिशत किसानों को ही संस्थागत ऋण सुलभ हैं।

भारत में विश्व का सबसे मजबूत सूक्ष्म वित्त क्षेत्र है जो करोड़ों निर्धन परिवारों को सस्ता वित्त उपलब्ध कराता है। ये वे लोग हैं जिन्हें संस्थागत वित्तीय सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं और जिन्हें साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। किंतु इसके साथ ही वाणिज्यिक सूक्ष्म–वित्त कंपनियों की बाढ़ सी आ गई है जिन्होंने प्राथमिकता ऋण हिस्से के तहत अनुसूचित बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और फिर 40 प्रतिशत तक ब्याज दरें लगाई हैं। इसके फलस्वरूप ये संस्थाएं ऐसे संगठित पक्ष बन गई हैं जिन्होंने अनौपचारिक ऋण बाजारों के हिस्से पर जो साहूकारों के प्रभुत्व में था, कब्जा जमाया है। उन्होंने इस क्षेत्र में नियमन के अभाव का लाभ उठाया है और वित्तीय समावेश में वृद्धि नहीं की है।

निष्कर्ष: समावेश सुनिश्चित करने में भारत के निम्न कार्य–प्रदर्शन की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि भारत का मानव विकास सूचकांक 1990 में 0.411 से 2000 में 0.461 और 2012 में 0.554 हो गया जबकि इसी अवधि में विश्व 1991 में 0.558 से, 2000 में 0.634 और 2012 में 0.686 पर आया है। यह मानव विकास रिपोर्ट, 2013 के आंकड़े बताते हैं। परिणामस्वरूप, इन वर्षों में भारत के स्थान में गिरावट आई है और वह 187 देशों में से 138वें स्थान पर रहा। इसके साथ ही अगर हम बहुआयामी निर्धनता पर राष्ट्र संघ के आकलन के अनुसार विचार करें तो यह पता चलता है कि भारत में लगभग 55 प्रतिशत आबादी निर्धन है। गैर–समावेश की यह स्थिति निर्धन–समर्थक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विफलता और नव उदारवादी विकास नीतियों के निर्धन–विरोधी बल की वजह से है। यह बात राष्ट्र संघ और विभिन्न गैर–सरकारी संस्थाओं की स्वतंत्र रिपोर्टों से पुष्ट हो गई है।

## समावेशपूर्ण संवृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज के हस्तक्षेप

नागरिक समाज के संगठनों ने अपने सेवा प्रदायगी कार्य और अधिकार–आधारित कार्रवाइयों के माध्यम से समावेशपूर्ण संवृद्ध या विकास में योगदान किया है। वादा न तोड़ो अभियान (डब्ल्यूएनटीए), जन आंदोलन के लिए राष्ट्रीय सहमेल (एनएपीएम) और भोजन के अधिकार के लिए अभियान जैसे विभिन्न राष्ट्रीय और व्यापक आधार वाले सहमेल सतत और समतापूर्ण विकास तथा साथ ही सामाजिक–आर्थिक न्याय के मुद्दों से सरोकार रखते हैं। देश में एक अग्रणी और ठोस सूक्ष्म–वित्त आंदोलन भी मौजूद है जिसे सेवा जैसे संगठनों ने शुरू किया और फिर इसे नाबार्ड से सहायता प्राप्त हुई।

आक्सफैम इंडिया, सेव दि चिल्ड्रन, कैरिट्स, हिवोस, एक्शन एड, फोर्ड फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, महिंद्रा राइज जैसे अनुदानकर्ता एजेंसियों के और साथ ही निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का कार्यान्वयन करने वाली व्यावसायिक कंपनियों ने समावेश सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज के संगठनों को उनके कार्यक्रमों के लिए उदार सहायता प्रदान की है।

इन सभी संस्थाओं ने जमीनी स्तर पर विकास कार्य किया है, अधिकार–आधारित कार्रवाइयां की हैं, जन हित मुकदमे चलाये हैं और चौतरफा विकास के लिए नीतिगत और संचार माध्यम (मीडिया) एडवोकेसी की है।

**आय और आहार–ग्रहण:** नागरिक समाज के संगठनों (सीएसओज) ने टिकाऊ कृषि, पनढ़ाल विकास, विकेंद्रित आय जनन और सूक्ष्म वित्त को लेकर देश के अनेक स्थानों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है। इससे छोटे और सीमांतीकृत किसानों की आजीविका में सुधार आया है और आय तथा आहार–ग्रहण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नागरिक समाज के संगठन सामाजिक ऑडिट करने और पारदर्शिता तथा उपयुक्त नियोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पर दबाव डालने में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

उदाहरण के लिए मनरेगा की स्थिति के सुधार में नागरिक समाज संगठनों के प्रयासों की वजह से आयों और पर्यावरण की स्थिरता पर सराहनीय प्रभाव पड़ा है।

**शिक्षा और स्वास्थ्य:** ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो इन क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रही है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार किया गया है जैसे कि आजिम प्रेमजी फाउंडेशन, एकलब्य और प्रथम, पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जन स्वास्थ्य सहयोग, चेतना, सेहत आदि।

**लिंग (जेंडर):** नागरिक समाज के संगठन और विशेषकर केरिटस इंडिया, केयर, सेव दि चिल्ड्रन, चाइल्ड फंड इंडिया जैसी संस्थाएं इस क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रही हैं। अपने साझेदारों के माध्यम से दि हंगर प्रोजेक्ट और वेल्ट हंगर हिल्फी ने महिलाओं के राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य किया है और यह सुनिश्चित किया है कि कार्यशक्ति और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। अनेक कार्यक्रमों और नये प्रकार के मॉडल्स के माध्यम से महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर कार्य किया गया है जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

**पर्यावरण:** नागरिक समाज की संस्थाओं ने लगातार इस तथ्य की ओर इंगित किया है कि सरकारी विकास कार्यक्रमों में नियोजन की गुणवत्ता निम्न है, निगरानी का अभाव है और इसके फलस्वरूप जवाबदेही मौजूद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि जमीनी स्तर पर जागरूकता निर्माण की जरूरत है।

सच तो यह है कि इस देश में जमीनी स्तर का पर्यावरण आंदोलन बहुत मजबूत रहा है। इस आंदोलन को तब उल्लेखनीय सफलताएं भी मिली हैं जब इन आंदोलनों ने जन लामबंदी, सार्वजनिक एडवोकेसी और कानूनी क्रियाशीलता को मिला कर बड़े निगमों को रोकने और संसाधनों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है।

नागरिक समाज के संगठनों (सीएसओज) ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज) को संवैधिक रूप से अपना कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए, पुनः बल प्रदान करने की जरूरत पर जोर दिया है क्योंकि वे समावेशपूर्ण विकास के सर्वोत्तम सहभागी हैं।

## ब्रिक्स देशों में समावेश के संबंध में स्थिति

विश्व के लगभग 33 प्रतिशत गरीब लोग भारत में रहते हैं जबकि इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 16 प्रतिशत है।

**तालिका 4:**
**ब्रिक्स देशों में समावेश की तुलनात्मक स्थिति**

| देश | विश्व की आबादी का अनुपात (प्रतिशत) | विश्व की अत्यंत निर्धन आबादी का अनुपात (प्रतिशत | तुलनात्मक समोवेश सूचकांक |
|---|---|---|---|
| भारत | 16 | 33 | –1.06 |
| दक्षिण अफ्रीका | 0.7 | 0.9 | –0.29 |
| चीन | 19 | 13 | 0.31 |
| ब्राजील | 2.7 | 0.9 | 0.66 |
| रूस | 2 | 0 | 1 |

*स्रोतः विश्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर लेखक के आकलन*

चीन में विश्व के 13 प्रतिशत निर्धन लोग रहते हैं और उसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 19 प्रतिशत है। इसलिए जहां तक समावेश की बात है वह भारत से अच्छी स्थिति में है। ब्राजील मे विश्व के 0.9 प्रतिशत निर्धन लोग रहते हैं और उसकी आबादी विश्व की आबादी का 2.7 प्रतिशत है। वह भारत और चीन से बेहतर स्थिति में है। रूस क्योंकि एक विकसित देश है, इसलिए वहां आबादी का कोई भी हिस्सा अत्यंत निर्धनता रेखा से नीचे नहीं है।

ब्रिक्स देशों में तुलनात्मक समावेश सूचकांक उक्त तालिका 4 में दर्शाया गया है। उच्च सकारात्मक उच्च समावेश का संकेत है। विश्व की आबादी की तुलना में भारत और दक्षिण अफ्रीका में विश्व के अधिक निर्धन लोग रहते हैं। जिन देशों ने उच्चतर वृद्धि से प्राप्त राजस्व को स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, श्रम बाजार सुधारों पर तुलनात्मक रूप से अधिक व्यय किया है, उन देशों ने अधिक समावेश सुनिश्चित किया है।

समावेशपूर्ण संवृद्धि को प्रभावित करने वाले अन्य पैरामीटर्स का मापन किया गया है और ब्रिक्स देशों के संदर्भ में तुलना की गई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका–5 में स्पष्ट है।

ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका में आय असमानता सबसे अधिक है। इस संबंध में दूसरे देशों में क्रमिक आधार पर ब्राजील, चीन, रूस और भारत आते हैं।

**तालिका 5:**
**ब्रिक्स देशों में समावेश के कुछ अन्य मानदंडों की तुलना**

| देश | आय असमानता का जिनी कोएफिशिएंट (प्रतिशत) 2009 | जीडीपी अनुपात पर कर (प्रतिशत) 2014 | सरकारी व्यय/जीडीपी अनुपात (प्रतिशत) 2014 |
|---|---|---|---|
| भारत | 33.9 | 10.1 | 27.2 |
| दक्षिण अफ्रीका | 63.1 | 27.3 | 32.1 |
| चीन | 42.1 | 19.0 | 23.9 |
| ब्राजील | 54.7 | 34.8 | 39.1 |
| रूस | 40.1 | 29.5 | 35.8 |

*स्रोतः जिनी कोएफ. विश्व बैंक से*
*http://povertydata.worldbank.org/poverty/home/. Tax/GDP and Govt. Exp/GDP from Heritage Foundation at http://www.heritage.org/index/download*

किंतु जीडीपी अनुपात पर कर की दृष्टि से भारत काफी पीछे है और यह चिंता का विषय है क्योंकि यह सरकार की पुनर्वितरण के माध्यम से निर्धन लोगों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। इस संदर्भ में सबसे अधिक कर ब्राजील और फिर रूस और दक्षिण अफ्रीका में हैं।

ब्राजील में जीडीपी अनुपात पर सरकारी व्यय लगभग उतना ही है जितना कि विकसित देशों में। इसका एक पर्याप्त बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवाओं और सुरक्षा कवच (सेफ्टी नेट) के प्रावधानों पर है। रूस में भी यह अनुपात काफी अधिक है। भारत और चीन में अनुपात निम्न हैं। इस प्रकार आय में असमानता के अलावा, अन्य मानदंडों के अनुसार भारत दूसरे ब्रिक्स देशों की तुलना में काफी पीछे है।

## सतत विकास ढांचे की दिशा में

अंतर्राष्ट्रीय रूप से एमडीजीज की मुख्य आलोचना यह कि इन लक्ष्यों को समावेशपूर्ण विश्लेषण करके तैयार नहीं किया गया। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का ढांचा सैद्धांतिक रूप से कमजोर था क्योंकि लक्ष्य राजनीतिक और सामाजिक वंचना, असहायता, वितरण–असमानता, मानवाधिकार उल्लंघन आदि के संदर्भ में नकारात्मक प्रभावों पर विचार न करते हुए निर्धारित किये गये।

इसके अलावा गुणवत्ता का ध्यान न रखते हुए लक्ष्य संख्यात्मक है। लक्ष्य केवल विकासशील देशों के तुलनात्मक कार्य–प्रदर्शन को मॉनीटर करने के लिए निर्धारित किये गये थे।

इसके परिणामस्वरूप, राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित "कमीशन ऑन ग्रोथ एंड डिवलपमेंट" ने संवृद्धि या विकास और बहुआयामी निर्धनता निवारण को अधिक समावेशपूर्ण और टिकाऊ बनाने के लिए कुछ परिवर्तन सुझाये थे। यह कहा जाता है कि सतत विकास के लिए सीईडीएडब्ल्यू और सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा जैसी राष्ट्र संघ की घोषणाओं और कंवेंशनों में उल्लिखित अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि टिकाऊ विकास के लिए महिलाओं और देशज लोगों जैसी पिछड़ी जनसंख्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य के साथ समेकित मानव विकास परिप्रेक्ष्य के लिए जमीनी स्तर पर आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि विकसित देश बढ़ी हुई सहायता प्रदान करने, वित्तीय सट्टाखोरी पर अंकुश लगाने और वित्तीय समझदारी को बनाये रखने, सैन्य व्यय को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन शमन के लक्ष्यों का पालन करने की दृष्टि से भूमंडलीय रूप से विकास परिदृश्य को सुधारने के लिए अपने द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के प्रति जवाबदेह बने।

यह स्वीकार करते हुए कि विकासशील देश अकेले ही अपने बल पर समावेशपूर्ण संवृद्धि हासिल नहीं कर सकते जब तक कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व रखने वाले विकसित देश इस दिशा में प्रतिबद्ध नहीं होते। वर्ष 2012 में आयोजित नई दिल्ली सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने एक संयुक्त घोषणा में यह उल्लेख किया कि विकसित देशों को भूमंडलीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी और भूमंडलीय वित्तीय ताने–बाने को विकासशील देशों के प्रति अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए उसमें सुधार लाना होगा। उन्होंने उभरते और विकासशील देशों में विकास वित्त के प्रवाह को बढ़ाने की जरूरत को स्वीकार किया और विश्व बैंक से मांग की कि वह विकास वित्त को और अधिक प्राथमिकता प्रदान करे।

ब्रिक्स देशों ने अब फोर्टालेजा, ब्राजील में आयोजित हाल के सम्मेलन में अपना विकास बैंक स्थापित किया है। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने 2015 के बाद के विकास एजेंडा को अधिक समावेशपूर्ण और सतत बनाने के लिए एक वक्तव्य जारी किया है और बल दिया है कि इसमें समान किंतु अलग–अलग दायित्वों के सिद्धांत

को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने एक समावेशपूर्ण, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण अतः सरकारी प्रक्रिया के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की ताकि ऐसा विकास एजेंडा तैयार किया जा सके जिसका लक्ष्य निर्धनता का उन्मूलन हो और जो अलग–अलग राष्ट्रीय वास्तविकताओं और विकास के स्तरों को ध्यान में रखने वाले, कार्यान्वित करने योग्य और मापनीय लक्ष्यों के साथ सतत विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को समेकित कर सके।

इसी प्रकार जी 20 देशों के नागरिक समाज संगठनों ने सी 20 नामक एक मंच का गठन किया है जिसका उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों, दोनों को शामिल करते हुए इस सशक्त समूह के नेताओं के साथ अधिक समावेशपूर्ण विकास एजेंडा के लिए बातचीत करना है। सी–20 ने निर्धनों को स्थिर और गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्रदान करने, बढ़ते कराधान द्वारा संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से पुनर्वितरण को प्रोन्नत करने के लिए कानूनों और वित्तीय नीतियों के सूत्रीकरण के लिए सिफारिशें की हैं। उसका यह भी कहना है कि अभिशासन में पारदर्शिता तथा अधिक भागीदारी के साथ वस्तुओं और सेवाओं में राष्ट्रों के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय रूप से निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

## भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि के लिए आगे का रास्ता

भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि का अर्थ है बहुआयामी निर्धनता को दूर करने के लिए टिकाऊ आजीविकाओं, निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के सार्वजनिक प्रावधान के माध्यम से टिकाऊ पुनर्वितरण की दिशा में सरकार की ओर से मजबूत प्रतिबद्धता। क्योंकि बृहत् स्तरीय नीतियां विशिष्ट स्थानीय समस्याओं की वजह से हमेशा निर्धनता का निवारण नहीं करतीं और इन्हें तो निर्धनों के साथ परामर्श करके तैयार किये गये स्थानीय समाधानों के माध्यम से ही हल किया जा सकता है, इसलिए नागरिक समाज के संगठनों को और भी बड़ी भूमिका सौंपी जानी चाहिए।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना ने भी समावेशपूर्ण संवृद्धि और सामाजिक क्षेत्र के लिए पहले से कहीं अधिक परिव्यय (आउटलेज) पर बल देते हुए इस विचार की पुष्टि की है। इसलिए निजी उद्योगों के साथ स्वस्थ मेलजोल होना चाहिए ताकि सामाजिक क्षेत्र का उपयुक्त कार्यचालन और पर्यावरण की रक्षा – जैसी कि राष्ट्र संघ और विश्वबैंक ने सिफारिश की है – करते हुए आर्थिक संवृद्धि और राज्य तथा नागरिक समाज की संलग्नता सुनिश्चित की जा सके।

## वाणी के प्रकाशनों की सूची

- नागरिक समाज की जवाबदेही के सिद्धांत और व्यवहार (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक भूमंडलीय अभियान (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सुशासन के लिए मॉडल नीतियां
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सुशासन पर एक हैंडबुक
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति (प्राईमर) (हिंदी और अंग्रेजी)
- सहायता प्रभावकारिता चर्चा में नागरिक समाज की संलग्नता
- स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बदलती गतिशीलता
- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना
- भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह
- भारत की विकास सहयाताः रुझान, चुनौतियां और सीएसओज के लिए निहितार्थ
- जी 20 में भारत की भूमिकाः एक नागरिक समाज दृष्टिकोण
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- महिलाओं के साथ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां – अध्ययन रिपोर्ट का प्राईमर (अंग्रेजी और हिंदी)
- जल और स्वच्छता के संबंध में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- दलितों को लेकर कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता के विषयगत मुद्दों को लेकर काम करने में सीएसआर का योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति की जरूरत (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति का नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिंदी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी)

## हेनरिक बोल फाउंडेशन का परिचय

"हेनरिक बोल फाउंडेशन (एचबीएफ) जर्मनी की एक पर्यावरण–उन्मुख राजनीतिक फाउंडेशन है जो ग्रीन्स/एलाएंस से जुड़ी है। इसका मुख्यालय बर्लिन में है। आज अपने 30 अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों के माध्यम से हेनरिक बोल फाउंडेशन विश्व भर में नागरिक शिक्षा कार्यकलाप और परियोजनाएं चलाती है और उन्हें सहायता प्रदान करती है।

एचबीएफ अपने को एक पर्यावरण उन्मुख विचार–संस्था और अंतर्राष्ट्रीय नीति नेटवर्क के रूप में देखती है जो कि सरकारी और गैर–सरकारी कार्य–पक्षों के साथ कार्य करता है और जेंडर समानता, टिकाऊ विकास और जनतंत्र तथा मानव अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत में वर्ष 2002 से अपनी उपस्थिति के साथ एचबीएफ का भारत कार्यालय देश में हितधारकों और साझेदारों के साथ पारस्परिक संपर्क का समन्वयन करता है। इसके कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों में जलवायु और संसाधन नीति, जेंडर परिप्रेक्ष्य से सामाजिक–आर्थिक नीति, जनतंत्र की गतिशीलता और नयी भूमंडलीय व्यवस्था में भारत की भूमिका शामिल हैं।"

## वाणी का परिचय

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) स्वैच्छिक संस्थाओं का एक शीर्ष निकाय है। वर्ष 1988 में स्थापित यह संस्था स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रोन्नतिकर्ता/संरक्षरक और उसकी सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करती है।

### *वाणी का आधार*

- भारत के 25 राज्यों में फैली 8000 स्वैच्छिक संस्थाएं हैं।
- यह स्वैच्छिक क्षेत्र के संबंध में प्रकाशनों, शोध, लेखों और जानकारी का एक संसाधन केंद्र है।

### *लक्ष्य*

- एक मंच में रूप में स्वैच्छिकवाद को बढ़ावा देना और स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए जगह बनाना।
- एक नेटवर्क के रूप में भारत में स्वैच्छिक कार्रवाई का एक सचमुच राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने के लिए क्षेत्र के साझे मुद्दों और सरोकारों को एकीकृत करना। इसके अलावा वाणी बदलाव के एकजुट और टिकाऊ आंदोलन को मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र के विभिन्न प्रयासों और पहलकदमियों के बीच संपर्क बनाती है।
- एक एसोसिएशन के रूप में; मूल्य आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई और विशेषकर अपने सदस्यों के बीच दीर्घकालिक टिकाऊपन को पोषित की दिशा में कार्य करना।

### *कार्य के क्षेत्र*

- स्वैच्छिक क्षेत्र में सुशासन के तौर–तरीकों को बढ़ावा देना
- नेटवर्कों को मजबूत बनाना
- स्वैच्छिक क्षेत्र की स्वतंत्र आवाज को रूप प्रदान करना
- स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नीतियों और कानूनों के संबंध में शोध और पैरवी करना।

**वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)**
**बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110 048**
**फोन : 01129228127, 29226632, टेलिफैक्सः 011–41435535**
**ईमेलः** info@vaniindia.org,
**वेबसाइटः** www.vaniindia.org